समाचार–प्रकाशनार्थ :–

भोजन और पानी की तरह पहली जरुरत है स्वच्छता

स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए, शहर के अनेक स्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 23 नवम्बर । स्वच्छता हमे मानसिक, शारीरिक,सामाजिक और बोद्विक हर तरह से स्वस्थ्य बनाती है। आज जरुरत है कि स्वच्छता को सभी अपनी आदत बनाए। खुद समझे और दूसरों को भी स्वच्छता के उद्वेश्य और फायदे समझाए। स्वच्छता हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह पहली प्राथमिकता हाना चाहिए। तभी हम सब मिलकर रतलाम शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ्य बना पाएगे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त ने मंगलवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के तहत शहर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस दौरान सफाई मित्र समूह ने शहर के कचरा मुक्त व प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने संदेश आमजन को दिया अ डोर टू डोर इसके लिए प्रेरित भी किया है।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छता एक क्रिया है। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई जरुरी है। ऐसे लोग हमेशा बीमार रहते है तो अस्वच्छता वाले वातावरण में रहना पंसद करते है।

उन्होने कहा कि हमारी स्वस्थ्य जीवन शैली और जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छता बहुत जरुरी है। ये व्यक्ति को महान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। पूरे भारत में आमजन के बीच स्वच्छता को प्रसारित व प्रसारित करने लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और सामाजिक कानून बनाए और लागू भी किए है। घर या अपने आसपास संक्रमण फैलने से बचाने और गंदगी के पूर्ण निपटान के लिए हमे ध्यान रखना चाहिए कि घर या दुकान से निकले कचरे का निपटान इधर–उधर नही करते हुए कचरा संग्रहण वाहन में ही करे। साफ सफाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नही बल्कि ये घर, समाज, समुदाय और शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमे इसके महत्व और फायदों को समझना चाहिए। हमे शपथ लेना चाहिए कि न तो हम खुद गंदगी फलाएगें और ना ही दूसरों को फैलाने देगे।

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग–अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर–1 बना पाएगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलकी, झोन प्रभारो ए.पी.सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

23 नवम्बर को 84 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 23 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 23 नवम्बर मंगलवार को 84 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

23 नवम्बर मंगलवार को डम्पर से 23790, ट्रेक्टर से 20280, काम्पेक्टर सूखा कचरा 20715 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19225 किलो इस तरह कुल 84010 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में गंदगी करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 23 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 नवम्बर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर सुरेन्द्र सिंह विनोबा नगर, सुरेश कुमार, अनन्तसिंह चौहान, दशरथ, सुरेश, चरणदेवी, कमल, गोपाल बौरासी रेल नगर, व्यासजी, कन्हैया पर 500—500, कृष्णा रेल नगर पर 300, चन्द्रकला रेल नगर पर 200, सुनील व रावजी स्टेशन रोड पर 100—100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ—स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

न्यू रोड व पावर हाउस रोड से अतिक्रमण सामग्री जब्त की

रतलाम 22 नवम्बर । शहर के मुख्य मार्गो, फुटपाथ आदि पर गुमटियां, ठेले, अन्य साम्रगी रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 23 नवम्बर मंगलवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए न्यू रोड व पावर हाउस रोड क्षेत्र में दुकानों के बाहर रखी गई सामग्री को जब्त कर दुकानदरों को समझाईश दी गई कि वे अपने सामान दुकानों के अन्दर ही रखें फुटपाथ या सड़क पर रखकर अतिक्रमण ना करें।

4736 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वार्डवार केन्द्रों व घर—घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 23 नवम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर—घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसक तहत 23 नवम्बर मंगलवार तक 4736पेंशन हितगाहियों का भौतिक सत्यापन कर 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की

पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय–पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकोय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 23 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 95 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 23 नवम्बर । शहर की मुख्य्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 23 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/23.11.2021/न.पा.निगम, रतलाम.